कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका

वर्ष 2023–24

जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर एवं केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत परिव्यय,
बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय की
स्थिति एवं भौतिक उपलब्धियों
का संक्षिप्त विवरण

***

रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड
प्रेमनगर–देहरादून।

रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड

कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका 2023–24

रेशम निदेशाालय उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों को नियोजित करते हुए ग्रामीण विकास तथा रोजगारपरक योजनाओं के माध्यम से निर्बल वर्गीय कृषकों, युवाओं, महिलाओं, खेतिहर मजदूरों तथा सीमान्त एवं भूमिहीन कृषकों को कृषि आधारित स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विविध योजनायें संचालित की जा रही हैं जिनके माध्यम से ग्रामीण एवं पर्वतीय अंचलों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य निर्बल वर्ग के कृषकों व महिलाओं को लाभान्वित कराया जा रहा है। वर्ष 2023–24 में जिला सेक्टर की 1, राज्य सेक्टर में 03 तथा 01 केन्द्र सहायतित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। संचालित योजनाओं का विवरण निम्नवत है :–

1. रेशम उत्पादन प्रचार प्रसार (जिला योजना) :

जिला सेक्टर के अन्तर्गत संचालित की जा रही इस योजना के माध्यम से विभागीय उद्यानों पर समस्त कर्षण क्रियायें जैसे–निराई, गुडाई, ट्रीमिंग प्रूनिंग, आदि जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति, विशुद्वीकारकों का क्रय तथा चॉकी एवं कृषि उपकरणों की आपूर्ति के साथ–साथ चॉकी कीटपालन कार्य में प्रयुक्त दैनिक श्रमिकों के पारिश्रमिक का भी भुगतान किया जाता है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 6469 रेशम कृषकों को चॉकीकृत रेशम कीट उपलब्ध कराते हुए अभी तक 311.59 मी0टन रेशम कोये के उत्पादन किया गया है। आगामी वर्ष 2024–25 हेतु 320 मी0टन कोया उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

2. वृक्षारोपण विकास योजना : (राज्य योजना)

योजना के अन्तर्गत उच्च उत्पादकता युक्त शहतूत प्रजातियों के पौधों का विभागीय, शहतूत फार्मों तथा कृषकों की भूमि पर रोपण एवं रखरखाव का कार्य कराया जाता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में भोज्य पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए रेशमोत्पादन में गुणात्मक वृद्धि संभव हो सके। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में विभागीय उद्यानों तथा निजी व फुटकर वृक्षारोपकों की भूमि पर 1.5 लाख रेशम कीट भोज्य पौधों का रोपण किया गया है।

रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करते हुये जैविक कृषिकरण कार्यों को बढ़ावा दिये जाने एवं कृषकों/कीटपालकों में जैविक रेशम विकास कार्यों के प्रति जागरूकता बढाने तथा रेशम कीटपालन के उपरांत अवशिष्ठ पदार्थों को जैविक उत्पादों के निर्माण में दक्ष बनाना भी योजना का उद्देश्य है। वर्ष 2023–24 में विभागीय उद्यानों में 25 मी0टन जैविक उर्वरक का उपयोग किया गया है।

योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थापित 72 राजकीय शहतूत उद्यानों पर चॉकी भवनों का निमार्ण/मरम्मत, फैंसिंग तथा बाउन्ड्रीवाल का निर्माण/अनुरक्षण व रेशम कीटपलान कार्य हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी किया जा रहा है जिसके फलस्वरुप स्थानीय स्तर पर

रेशम कीटपालकों को उच्च गुणवत्ता के चॉकीकृत रेशम कीट उपलब्ध कराये जाते हैं। योजना में वर्ष 2023–24 में आतिथि तक 9 चॉकी भवन निर्माण/रिनोवेशन का कार्य किया गया है।

प्रदेश में रेशम कृषकों, कीटपालकों, स्वैछिक संगठनों व स्वयं सहायता समूहों तथा रेशम सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को रेशम विकास सम्बन्धी विविध क्रियाकलापों की नवीनतम तकनीकियों का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है वर्ष 2023–24 में प्रदेश के 600 कीटपालकों/वृक्षारोपकों, रेशम रीलर्स, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों/स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य में नैसर्गिक रूप से सुप्राप्य बायोमॉस/वन सम्पदा का विदोहन करते हुए सुदूरवर्ती ग्रामीण, पर्वतीय एवं वन्य क्षेत्रों में वनाधारित रेशम जिसमे ट्रापिकल टसर, ओक टसर, एरी तथा मूगा रेशम सम्मिलित है, का कीटपालन करते हुए पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर जुटाने हेतु योजना के अन्तर्गत प्राविधान किया गया है जिसके अन्तर्गत वन क्षेत्र के निकटवर्ती रेशम केन्द्रों पर वन्य रेशम कीटों की भोज्य पौधों का रोपण व कीटपालन का कार्य किया जाता है। वर्ष 2023–24 में 2.00 लाख ओक टसर कोया उत्पादित किया गया है।

रेशम उद्योग सम्बन्धी कार्य प्रमुख रूप से अति निर्बल आयवर्गीय कृषकों, खेतिहर मजदूरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों, महिलाओं व सीमान्त कृषकों द्वारा किया जाता है। चूँकि रेशम विकास कार्य बिना किसी पूँजी के स्वरोजगार का सुलभतम साधन है जिसके द्वारा सीमान्त कृषक परिवारों द्वारा जीविकोपार्जन का कार्य किया जाता है। राज्य के निकटवर्ती प्रदेशों द्वारा रेशम कीटपालकों को अति अल्प मूल्य पर रेशम कीटाण्डों की आपूर्ति की जा रही है। उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा भी कीटपालकों को मात्र रू0 100/–प्रति औंस की दर से रेशम कीटाण्डों की आपूर्ति की जा रही है, शेष धनराशि की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत राज सहायता के रूप में की जाती है वर्ष 2023–24 में अब तक 6.50 लाख डी0एफ0एल्स रेशम कीटाण्डों पर सहायता उपलब्ध कराई गई है।

राज्य में रेशम विकास कार्यो को गतिशीलता प्रदान करने हेतु कोया उत्पादकों द्वारा उत्पादित कोये के त्वरित निस्तारण तथा कोया मूल्य भुगतान हेतु विभाग द्वारा कोया बाजारों/मण्डियों की स्थापना की गई है किन्तु अल्प सुविधा युक्त इन कोया बाजारों को पर्याप्त अवस्थापना सुविधाओं व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के विकास हेतु योजना में प्राविधान किया गया है ताकि किसानों द्वारा उत्पादित कोये का शीघ्र निस्तारण हो सके योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 में लक्ष्य के अनुरूप 4 कोया बाजारों का उच्चीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है।

योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कीट बीज संगठन को सुदृढीकृत करते हुए पी01, पी02 तथा बीजागार का संचालन कर आवश्यक एवं वान्छित मात्रा में गुणवत्तायुक्त बाईवोल्टीन रेशम कीटाण्डों का उत्पादन, संरक्षण एवं वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 में आतिथि तक योजनान्तर्गत 0.21 लाख कीटाण्ड उत्पादन किया गया है।

3. यू0सी0आर0एफ0 का सुदृढीकरण :

कृषकों द्वारा उत्पादित रेशम कोये/धागे के प्रभावी विपणन, त्वरित मूल्य भुगतान, तथा प्राथमिक रेशम सहाकारी समितियों को सुदृढ़ एवं कार्यक्षम बनाते हुए समितियों के माध्यम से रेशम विकास सम्बन्धी समस्त कार्यक्रमों के साथ रेशम वस्त्र बुनाई आदि कार्य सम्पादित करने हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत स्थानीय उत्पादकों/धागाकारकों एवं रेशम बुनकरों को वस्त्रोत्पादन हेतु कार्यशाला डाईंग, वीविंग, प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं विक्रय केन्द्रों आदि समस्त विविधीकृत सुविधायें एक ही स्थल पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा प्रेमनगर – देहरादून में एक सिल्क पार्क की स्थापना की गई है। सिल्क पार्क हेतु आवश्यक विविध परीक्षण उपकरणों, बुनाई तथा रंगाई मशीनों तथा अन्य आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति करते हुए वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत आतिथि तक 311.59 मी0टन कोया निस्तारण किया गया है।

प्रदेश में उत्पादित रेशम धागे की स्थानीय खपत में वृद्धि करने हेतु पारम्परिक बुनकर क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है तथा इन क्षेत्रों के बुनकरों को रेशम बुनाई तथा जैविक रंगों के उपयोग हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ ही बुनाई गतिविधियों का भी संचालन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न प्राकृतिक धागों के साथ शहतूती, ऐरी तथा ओक टसर धागों की ब्लेण्डिंग से पारम्परिक परिधानों के उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिस हेतु एक पावरलूम की स्थापना भी की गई है। योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर रेशम बुनकरों के माध्यम से रेशम वस्त्र तैयार कर उन्हें मार्केटिग सहायता भी दी जा रही है। योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 में आतिथि तक 25 हजार मी0 वस्त्रोत्पादन किया गया है।

कीटपालकों द्वारा उत्पादित कोये के विक्रय एवं निस्तारण हेतु कोया बाजारों का संचालन किया जा रहा है। कोया उत्पादकों के आर्थिक हितों की सुरक्षा व लागत से कम मूल्य पर कोया विक्रय होने की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रत्येक कीटपालन फसल से पूर्व रेशम कोये का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। ऐसी स्थिति में रेशम कोये का क्रय राज्य की शीर्ष सहकारी समिति, उत्तराखण्ड कोआपरेटिव रेशम फेडरेशन (यू0सी0आर0एफ0) द्वारा किया जाता है। क्रय किये गये कोये के मूल्य सम्बर्धन हेतु फेडरेशन द्वारा इसे ग्रोथ सेन्टर में स्थापित मल्टी एण्ड रीलिंग मशीनों पर धागाकृत किया जाता है वर्ष 2023–24 में 2.0 मी0टन धागे का उत्पादन का कार्य किया गया है।

योजना के अन्तर्गत प्रदेश में पंजीकृत रेशम सहकारी समितियों को शहतूत वृक्षारोपण, शहतूत नर्सरी विकास, रेशम कीटपालन व कोया उत्पादन, रेशम कोया विपणन, कोया बाजारों का संचालन, रेशम रीलिंग तथा बुनाई आदि सम्बन्धी प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुए विभागीय तकनीकी क्रियाकलापों के सफल संचालन में स्वावलम्बी बनाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को विभिन्न कार्यक्रमों का तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करते हुये विभागीय गतिविधियों का प्रसार किया जाता है। समितियों के माध्यम से रेशम फार्मों का रखरखाव एवं कर्षण कार्य भी कराये जाते हैं। वर्ष 2023–24 में प्रदेश में अब तक 25 पंजीकृत रेशम सहकारी समितियों तथा स्वयं सहायता समूह को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

4. रेशम कोया उत्पादकों को प्रोत्साहन :

प्रदेश में रेशम कोया उत्पादकों को, जो प्रायः निर्बल वर्गीय कृषक एवं खेतिहर मजदूर परिवारों से सम्बन्धित है, को रेशम कोया उत्पादन के माध्यम से स्वरोजगार अपनाने तथा उनकी जीविकोपार्जन हेतु रेशम विभाग द्वारा कीटपालन फसलें संचालित की जाती हैं किन्तु समय–समय पर प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों, दैवीय आपदाओं, बीमारियों के संक्रमण आदि विभिन्न कारकों से रेशम फसल/उत्पादन में क्षति होने के कारण किसानों को आर्थिक हानि उठानी पडती है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा रेशम कोया उत्पादकों को प्रोत्साहन योजना संचालित है। वर्ष 2023–24 में योजना के अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप कुल 100 मी0टन कोया उत्पादन पर प्रोत्साहन दिया गया।

5. केन्द्रपोषित सिल्क समग्र योजना :

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की सहायता से प्रदेश में संचालित केन्द्रपोषित सिल्क समग्र योजनाओं के अन्तर्गत निर्बल आय वर्ग के रेशम कीटपालकों को निजी कीटपालन भवन निर्माण में सहायता, कृषकों को कीटपालन उपकरणों की आपूर्ति तथा उच्च गुणवत्तायुक्त विशुद्धीकारकों की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है, वर्ष 2023–24 में योजना के अन्तर्गत 200 एकड़ वृक्षारोपण कार्य करते हुए आतिथि तक 200 लाभार्थियों को कीटपालन भवन एवं कीटपालन उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं।

महिलाओं के सम्बन्ध में कार्यक्रमों का उल्लेख :

वस्तुतः रेशम विभाग के कार्यक्रम/योजनायें अनुसूचित जाति/अ0जनजाति तथा महिलाओं हेतु अत्यधिक अनुकूल है जिसमें निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महिला लाभार्थियों की प्रचुर सहभागिता सुनिश्चित की जाती है।

- नर्सरी स्थापना में निराई, गुडाई, सिंचाई आदि कार्यों में महिलाओं की व्यापक भागीदारी।
- विभागीय चॉकी उद्यानों में कर्षण कार्य जैसे–निराई, गुडाई आदि में भागीदारी।
- रेशम कीटपालन कार्यों को महिला सुलभ होने के कारण पर्याप्त मात्रा में महिलाओं की भागीदारी।
- सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की सहभागिता।
- कृषि आधारित कार्य जैसे–जैविक खाद उत्पादन, वृक्षारोपण आदि में सहभागिता।
- महिला सुलभ कार्यों जैसे–रेशम रीलिंग, ट्विस्टिंग आदि में प्रचुर मात्रा में भागीदारी।
- वस्त्र बुनाई कार्यों में सहभागिता।

,,,

➢ रेशम विकास विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत/कार्यरत रिक्त पदों का विवरण :

दिनांक 01/04/2023 **स्थिति**

क. सं.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	पदों की संख्या	
			कार्यरत	रिक्त
1	निदेशक	1	1	—
2	संयुक्त निदेशक	1	—	1
3	उप निदेशक	2	1	1
4	सह निदेशक	9	5	4
5	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	2	2	—
6	सहायक लेखाधिकारी	1	1	—
7	वरिष्ठ प्रशासनिक अधि0	2	2	—
8	प्रशासनिक अधिकारी	3	3	—
9	लेखाकार	1	—	1
10	आशुलिपिक ग्रेड–1	1	1	—
11	प्रधान सहायक	5	5	—
12	निरीक्षक (रेशम)	35	32	3
13	सहकारी निरीक्षक	1	—	1
14	सहायक लेखाकार	1	—	1
15	वरिष्ठ सहायक	8	7	1
16	आशुलिपिक ग्रेड–2	2	1	1
17	अधिदर्शक/प्रदर्शक	71	33	38
18	सहकारिता पर्यवेक्षक	2	—	2
19	कनिष्ठ सहायक	9	4	5
20	चालक	6	3	3
21	बीज परीक्षक	8	—	8
22	प्रधान कीटपालक	25	4	21
23	प्रधान माली	20	3	17
24	कीटपालक	65	17	48
25	माली	20	11	9
26	अनुसेवक	21	2	19
27	चौकीदार	17	9	8
	योगः–	**339**	**147**	**192**

संवर्ग	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
श्रेणी 'क'	04	02	02
श्रेणी 'ख'	14	10	04
श्रेणी 'ग'	145	89	56
श्रेणी 'घ'	176	111 (46 नियमित+65 उपनल व पी0आर0डी0)	65
योग :–	**339**	**212**	**127**

आउट कम/परफार्मेंस बजट 2024–25

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख SDG -2

(लाख रू0 में)

क.सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.4.2023 की स्थिति (भौतिक)	31.3.2024 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित आउटकम वर्ष 2024–25	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनेत्तर–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें– 07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास–0701– अधिष्ठान	रेशम विभाग के कार्यक्रमों का समग्र विकास एवं प्रसार करना तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान।	1930.02	–			कुल स्वीकृत पद– 339 वर्तमान में कार्यरत– 212 कोया उत्पादन लक्ष्य–320 मी0टन कीटपालक परिवार सं0–10000	राज्य के कृषक परिवारों को रेशम उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार नर्सरीकर्ताओं, वृक्षारोपकों, धागाकारों तथा बुनकरों को विभागीय योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर सुलभ कराना।	2024–25
2	शहतूत वृक्षारोपण योजना	योजना का उद्देश्य विभागीय चॉकी कीटपालन केन्द्रों के साथ–साथ कृषकों की निजी भूमि पर उन्नतशील शहतूत प्रजातियों का फुटकर वृक्षारोपण करते हुये रेशम कीटपालन हेतु प्रचुर मात्रा में भोज्य पौध तैयार करना है।	366.00		शहतूत पौध रोपण–150000 संख्या	शहतूत पौध रोपण–150000 संख्या	शहतूत पौध रोपण–175000 संख्या	वृक्षारोपण कार्य कर शहतूती रेशम उत्पादन हेतु पौध सम्पदा में वृद्धि करना तथा रेशम कृषकों को रासायनिक खाद पर निर्भरता को कम करते हुए जैविक कृषिकरण को उत्प्रेरित करना।	2024–25
		कीटपालन कार्य के उपरान्त रेशम कीट अवशेषों, अप्रयुक्त पत्तियों तथा एफ0 वाई0एम0 के द्वारा जैविक खाद तैयार करना एवं जैविक खाद का उपयोग।			जैविक खाद 28 टन	जैविक खाद 30 टन	जैविक खाद – 30 टन		
		चॉकी कीटपालन हेतु कीटपालन कक्षों का निर्माण तथा पुराने भवनों का जीर्णोधार, तथा चॉकी कीटपालन उद्यानों की फैन्सिंग निर्माण व मरम्मत आदि।			10	10	चाकी भवनों का जीर्णोधार, सुरक्षा दीवर निर्माण एवं मरम्मत – 10 सं0	राज्य में रेषमोद्योग की आधारभूत अवस्थापनाओं के विकास से आगामी वर्षों हेतु सुदृढ धरातल प्राप्त होगा।	
		प्रदेश में कुशल मानव संसाधनों का विकास करना तथा लाभार्थियां को रेशम उद्योग की नवीनतम तकनीकियों की जानकारी उपलब्ध कराना।			प्रशिक्षणार्थी–600	प्रशिक्षणार्थी–600	प्रशिक्षणार्थी– 650	प्रदेश में कुशल मानव संसाधनों का विकास करना जिससे आगामी वर्षों में कोया उत्पादन में वृद्धि एवं किसानों की आय में वृद्धि होगी।	
		रेशम कीटपालकों को कीटाण्ड मूल्य भुगतान में सहायता उपलब्ध कराना है ताकि निर्बलवर्गीय कृषक अल्प मूल्य पर रेशम कीटाण्ड प्राप्त कर कीटपालन कार्य कर सके।			6.95 लाख डी0एफ0एल्स	7.00 लाख डी0एफ0एल्स	कीटपालन– 7.00 लाख डी0एफ0एल्स	आर्थिक रूप से कमजोर कीटपालकों को कम मूल्य पर कीटाण्ड उपलब्ध कराना जिससे रेशम कीटपालकों की संख्या व कोया उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी।	

		प्रदेश में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध प्रचुर वन सम्पदा का दोहन कर गैर शहतूती रेशम कीटपालन कार्य से रोजगार के अवसरों को जुटाना है तथा विभागीय केन्द्रों पर गैर शहतूती पौधालयों की स्थापना, भोज्य पौधों का उत्पादन तथा क्षेत्रों में रोपण करना है।			वृक्षारोपण–68000 उत्पादन– 2.47 लाख	वृक्षारोपण–70000 उत्पादन –5.0 लाख	वृक्षारोपण– 50000 कोया उत्पादन – 5.0 लाख	उद्योगशून्य क्षेत्रों में प्राकृतिकरूप से उपलब्ध प्रचुर वन सम्पदा तथा विकसित किये गये नये क्षेत्रों का विदोहन करते हुए वन्या रेशमक कोया उत्पदान एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि।	
		बीज संगठन को सुदृढीकृत करते हुए रेशम कीटाण्डों का उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।			0.75 लाख डी0एफ0 एल्स	0.80 लाख डी.एफ. एल्स	कीटाण्ड उत्पादन– 1.5 लाख डी0एफ0एल्स	कीटाण्ड उत्पादन में आत्मनिर्भरता।	
		प्रदेश में कीटपालकों द्वारा उत्पादित किये जा रहे रेशम कोये का त्वरित निस्तारण तथा कोया उत्पादकों को उनके उत्पाद की गुणवत्ता के आधार पर मूल्य भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कोया बाजारों का उच्चीकरण करना है।			4 कोया बाजारों का उच्चीकरण	4 कोया बाजारों का उच्चीकरण	कोया बाजारों का उच्चीकरण–4	कोया बाजार में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास जिससे आगामी वर्षों में कोया विपणन हेतु सुदृढता प्राप्त होगी।	
3	यू0सी0आर0एफ0 का सुदृढीकरण	रेशमोद्योग के कोसोत्तर विकास कार्यक्रमों जैसे–कोया बाजारों का संचालन, कोया मूल्य भुगतान, रेशम, रीलिंग, टिवस्टिंग, डाईंग, डिजायनिंग, विविंग तथा मार्केटिंग आदि गतिविधियों के संचालन हेतु सहकारी शीर्ष संस्था यू.सी.आर.एफ. को सुदृढ बनाना।	175.50		कोया उत्पादन– 301.75 मी0टन	कोया उत्पादन– 315.00 मी0टन	320 मी0टन0 कोये का निस्तारण	रेशमोद्योग के समस्त ऊर्ध्वगामी कार्यों के समन्वय में प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा तथा प्रभावी विपणन व्यवस्था के कारण उत्पादन क्षेत्र को भी तत्काल लाभ मिलेगा।	2024–25
		प्रदेश में रेशम वस्त्रों के उत्पादन हेतु नये बुनाई करघो तथा पावरलूम की स्थापना, पुराने करघों का उच्चीकरण, कच्चे माल उपलब्ध कराना।			वस्त्रोत्पादन–30 हजार मी0	वस्त्रोत्पादन–40 हजार मी0	वस्त्रोत्पादन–45 हजार मी0	राज्य में रेशम वस्त्र बुनाई गतिविधि को बल मिलेगा जिससे प्रदेश में उत्पादित रेशम धागे की स्थानीय खपत व रोजगार में वृद्धि होगी।	
		योजना का उद्देश्य फेडरेशन द्वारा क्रय किये गये रेशम कोये की रीलिंग करते हुए मूल्य सम्बर्धन तथा लाभार्जन करना है।			धागा उत्पादन–2.5 मी0टन	धागा उत्पादन –3.5 मी0टन	धागा उत्पादन –3.5 मी0टन	सहकारी क्षेत्र में धागाकरण का विकास तथा मूल्य संवर्द्धन।	
		प्रदेश के रेशम सहकारी समितियों को रेशम विकास सम्बन्धी गतिविधियों के संचालन में स्वावलम्बी एवं दक्ष बनाना।			सहकारी समिति–30	सहकारी समिति–30	लाभान्वित सहकारी समितियां – 35	प्रदेश की रेशम सहकारी समितियों को रेशमोत्पादन कार्य में आत्मनिर्भर बनाना।	

4	केन्द्रपोषित सिल्क समग्र योजना (राज्यांश)	भारत सरकार द्वारा प्रदेश में सिल्क समग्र योजना का संचालन प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत सामान्य, एस0सी0एस0पी0 व टी0एस0पी0 में नये रेशम क्लस्टर्स विकसित कर लाभार्थियों को कीटपालन कक्षों का निर्माण व टूलकिट्स आपूर्ति हेतु सहायता उपलब्ध कराना है।	149.75	–	वृक्षारोपण–300 कीटपालन उपकरण –300 कीटपालन कक्ष–300	वृक्षारोपण–200 कीटपालन उपकरण –200 कीटपालन कक्ष–200	वृक्षारोपण – 400 कीटपालन उपकरण – 400 कीटपालन कक्ष – 400	सहकारी क्षेत्र में धागाकरण का विकास।	2024–25
5	रेशम कोया उत्पादकों को रेशम फसलों हेतु प्रोत्साहन सहायता	योजना का उद्देश्य प्रतिकूल प्राकृतिक कारणों से रेशम कोया उत्पादन से कीटपालकों को हुई आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति करना है।	10.00	–	100 मी0टन	50 मी0 टन	50 मी0 टन	रेशम कीटपालकों को प्राकृतिक कारणों से होने वाली आर्थिक क्षति से सुरक्षा प्रदान करना है।	2024–25
	योगः–		**2628.27**	**–**					

सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

क्र. सं.	SDG संकेतक	1–4–2023 की स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक) 2024–25	परिकल्पित आउटकम (भौतिक) 2024–25
1.	कच्चे रेशम का उत्पादन (किग्रा0 प्रति हैक्टेयर)	10.19	11.00	समस्त विभागीय कार्यक्रमों के सफल संचालन, प्रचार–प्रसार, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्यों के माध्यम से प्रदेश में 10000 किसानों द्वारा 7.0 लाख डी0एफ0एल्स का कीटपालन कार्य कर 320 मी0टन कोया उत्पादित किया जायेगा।	ग्रामीण एवं उद्योगशून्य क्षेत्रों में सहकारिता नर्सरी, वृक्षारोपण, कीटपालन एवं उद्यानों पर कर्षण कार्यों के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि व किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं रेशम कोया उत्पादन में वृद्धि होगी। पर्वतीय जनपदों से हो रहे पलायन पर अंकुश लगेगा। जैविक कृषिकरण को बढ़ावा एवं शहतूती एवं वन्या भोज्य पौध सम्पदा में वृद्धि होगी।